

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

23 जुलाई, 2019 (ई0)

मंगलवार, तिथि-

[षोडश-सत्र]

01 श्रावण, 1941 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना। (यदि हो)
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।
- ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य**
- (04)- श्रीमती सीमा देवी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (05)- श्री शिव शंकर उरांव, स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (06)- श्री राधाकृष्ण किशोर, स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (07)- सर्वश्री नागेन्द्र महतो, भानू प्रताप शाही एवं डॉ0 जीतू चरण राम, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग)की ओर से वक्तव्य।
- (08)- डॉ0 इरफान अंसारी, श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी एवं श्रीमती निर्मला देवी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग)की ओर से वक्तव्य।
- समितियों का गठन**
- (09)- झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन। (यदि हो)

कृ0पृ030/-

--: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (10)- ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
(11)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना। (यदि हो)
(12)- शून्यकाल की सूचनाओं के संबंध में प्राप्त उत्तर की संकलित प्रति का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना।
(13)- याचिकाओं का उपस्थापन। (यदि हो)

--: वित्तीय-कार्य :-

- (14)- वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान।
{कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है}

--: विधायी-कार्य :-

राजकीय (वित्त) विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2019

- (15)- मंत्री प्रभारी (संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2019" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
(16)- मंत्री प्रभारी (संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
(17)- मंत्री प्रभारी (संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2019" पर विचार हो।
(18)- मंत्री प्रभारी (संसदीय कार्य) श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2019" स्वीकृत हो।
(19)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य। (यदि हो)

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची

ज्ञाप संख्या:- कार्य 0का0सू0-05/2019-1634/वि0स0, राँची, दिनांक- 22/07/19

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गुरुचरण सिंघु)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कू0पू030/-

ज्ञाप संख्या:- कार्य 0का0सू0-05/2019-1634/वि0स0, रॉची, दिनांक- 22/07/19
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय
को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature] 22/7/19
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य 0का0सू0-05/2019-1634/वि0स0, रॉची, दिनांक- 22/07/19
प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/
पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature] 22/7/19
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉची।
31/7/19
22.07.19

मंगल

विदित हो कि झारखण्ड विधान सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सहायक सचिव)

, रॉची

दिनांक 22/07/19
विधान सभा, रॉची

[Signature]
(सचिवीय कार्यालय)

विधान सभा, रॉची